झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक–.....................

संख्या–16/प्र0सु0–02–04/2013 का0 ..../ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–5637, दिनांक–25.06.2015 द्वारा **झारखण्ड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015** का गठन किया गया है।

2. उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार ''आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा, बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए हों। इसमें संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्था अनुसार अभिलेख अनुरक्षित करेंगे।''

3. उक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार ''किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।''

4. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के सापेक्ष Coronavirus के प्रकोप को दृष्टिपथ में रखते हुए एहतियाती उपाय के तहत उक्त नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। इस अवधि (स्थगन काल) में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(चन्द्र भूषण प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16/प्र0सु0–02–04/2013 का०– 1833 /रांची, दिनांक 11/03/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
11/3/2020

E:\chandan\Adhisuchna.docx